

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र / 19 / 67

साहब खां पुत्र श्री मीरखां जाति मेव निवासी खेडली अलाउद्दीन तहसील पहाडी जिला  
भरतपुर

..... प्रार्थी

बनाम

आरस्तुन पत्नी मौहरखां } जाति मेव निवासी खेडली अलाउद्दीन तहसील पहाडी जिला  
सम्बतकी पत्नी मौहरखां } भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी  
अधिनियम

**आदेश**

**दिनांक 17.09.2019**

उभयपक्ष वकील उप0। पीटासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पहाडी का स्थानान्तरण हो गया है। अतः यह मुन्त0 प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डा. आरूषि मलिक)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर